राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या ...1550, 1551, 1552, 1553, 1554 / 2017.....जिला.....अलवर.....

उनवान – मैसर्स आई.सी.एस. फूडस प्रा0 लि0 भिवाड़ी,अलवर बनाम् 1. अपीलीय प्राधिकारी, वा.क. अलवर
2. वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन भिवाड़ी, वृत्त–अलवर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खण्डपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य
श्री के.एल.जैन,सदस्य

24 / 11 / 2017

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री आर.एन.गर्ग एवं विभाग की ओर से श्री आर. के.अजमेरा, उप–राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

यें पांचों अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्र अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर (**जिसे आगे "अपीलीय प्राधिकारी"** कहा जायेगा) के क्रमशः स्थगन संख्या 107, 108, 109, 110 व 111 / 2017–18 में राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (**जिसे आगे "अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 38(4) सपठित धारा 107 जीएसटी एक्ट 2017 के अन्तर्गत पृथक–पृथक पारित आदेश दिनांक 03.11.2017 के विरूद्ध कर बोर्ड के समक्ष अधिनियम की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई हैं। अपीलीय अधिकारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वाणिज्यिक कर प्रतिकरापवंचन भिवाड़ी द्वारा पारित पृथक–पृथक कर निर्धारण वर्षों में पारित आदेशों के तहत कर, ब्याज व शास्ति में से शास्ति को अपास्त कर, कर व ब्याज को यथावत रखते हुए, अपीलों को आंशिक स्वीकार किया है। अपीलीय प्राधिकारी के उक्त आदेशों के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा उपरोक्त अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रकरणों में बकाया कर व ब्याज की वसूली योग्य राशि को स्थगित करने के संबंध में कर बोर्ड के समक्ष ये अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्र धारा 83 के अन्तर्गत पेश किये हैं, जिनका विवरण निम्न तालिकानुसार नीचे दर्शाया जा रहा है :–

अपील संख्या	अवधि	आरोपित			चाहा गया स्थगन
		कर	ब्याज	शास्ति	
1	2	3	4	5	6
1550 / 17	2011–12	60,783	46,255	1,21,566	**84,138**
1551 / 17	2012–13	1,70,104	1,08,980	3,40,208	**2,17,134**
1552 / 17	2013–14	2,07,966	1,08,280	4,15,932	**2,42,996**
1553 / 17	2014–15	4,15,526	1,63,564	8,31,052	**4,38,040**
1554 / 17	2015–16	6,90,608	1,68,725	13,81,216	**6,35,233**

अपीलार्थी व्यवहारी के विद्धान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध कर, शास्ति व ब्याज का आलौच्य अवधियों में जो आरोपण किया है, वह विधिसम्मत नही है। अपीलीय प्राधिकारी ने भी शास्ति को अपास्त कर, कर व ब्याज को यथावत रखने में विधिक भूल की है। अपने तर्क के समर्थन में कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा पूर्व पारित निर्णय मैसर्स गेटवे होटल रावलकोट बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवंचन जोधपुर निर्णय दिनांक 05.05.2017, मैसर्स पिंकसिटी बिल्डकोम प्रा0 लि0 जयपुर बनाम सहायक आयुक्त प्रतिकरापवचंन राजस्थान प्रथम जयपुर निर्णय दिनांक 22.08.2017 आदि निर्णयों का हवाला देते हुए, शेष वसूली राशि को स्थगित करने का निवेदन किया।

लगातार.....2

विभाग के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलार्थी के स्थगन प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभयपक्ष की बहस पर विचार करने एवं अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन करने के पश्चात यह पीठ इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि प्रकरणों में सुविधा का संतुलन प्रथम दृष्टया अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः प्रकरणों के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए, उपरोक्त पांचों प्रकरणों में शेष वसूली योग्य मांग राशि (उपरोक्त तॉलिका के कॉलम संख्या 6 के अनुसार) की वसूली स्थगित की जाती है। अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि वह इस निर्णय की प्राप्ति के दो माह के भीतर आवश्यक रूप से उनके समक्ष लम्बित अपीलों का निस्तरण सुनिश्चित करे।

उक्त पॉचों अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्रों को उपरोक्तानुसार निस्तारण किया जाता है।

आदेश सुनाया गया।

(के.एल.जैन)
सदस्य

(नत्थूराम)
सदस्य